न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर०ए०एस०)
अपील संख्या:-87/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/87)

1. दी यूनाईटेड चर्च ऑफ नार्दन इण्डिया/ऐसोसियेशन बोम्बे अधिकृत प्रतिनिधि श्री आर.के.डेविड, डेविड हाऊस मिशन कम्पाउण्ड, ब्यावर जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. ईश्वर लाल पुत्र हरजी राम (मृतक) जरिये वारिसान:-
   1/1 रमेश पुत्र ईश्वर लाल
   1/2 सुरेश पुत्र ईश्वर लाल
   1/3 प्रेमप्रकाश पुत्र ईश्वर लाल समस्त निवासी शाहपुरा मौहल्ला, मालियों की चौपड़ के पास, ब्यावर।
   1/4 नौरती देवी पत्नि अमरचन्द चौहान निवासी नेहरू गेट के बाहर, ब्यावर।
   1/5 लाजवन्ती पत्नि रमेश सांखला निवासी भांभीयों के होद के पास, शाहपुरा मौहल्ला ,मालियों की चौपड़, ब्यावर।
   1/6 कुसुम पत्नि घनश्याम निवासी नृसिंहपुरा, मंदिर के पास, ब्यावर।
   1/7 गीता देवी पत्नि अमरचन्द निवासी नेहरूगेट के बाहर, ब्यावर जिला अजमेर।
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र दुर्गा प्रसाद अग्रवाल निवासी डिग्गी मौहल्ला, ब्यावर जिला अजमेर।
3. श्रीराम पुत्र रामगोपाल (मृतक) जरिये वारिसान:--
   3/1 रामप्यारी बेवा श्रीराम
   3/2 ओमप्रकाश
   3/3 उत्तम
   3/4 प्रकाश
   3/5 अनोप
   3/6 राकेश पुत्रान श्रीराम समस्त जाति अग्रवाल निवासी चम्पानगर, ब्यावर जिला अजमेर ।
4. मोहनलाल पुत्र रामगोपाल खेतावत जाति अग्रवाल निवासी चम्पानगर, ब्यावर जिला अजमेर।
5. सोहनलाल पुत्र रामगोपाल (मृतक) जरिये वारिसान:-
   5/1 शैलेश खेतावत पुत्र सोहनलाल
   5/2 राजेश खेतावत पुत्र सोहनलाल
   5/3 सन्तरा देवी बेवा सोहनलाल समस्त जाति खेतावत निवासी गली नम्बर 02 चम्पानगर, ब्यावर जिला अजमेर।
6. बस्तीराम पुत्र रामगोपाल (मृतक) जरिये वारिसान:-
   6/1 रामजोत बेवा बस्तीराम
   6/2 श्यामसुन्दर पुत्र बस्तीराम
   6/3 रमेशचन्द पुत्र बस्तीराम
   6/4 महेश चन्द पुत्र बस्तीराम
   6/5 शिवचरण पुत्र बस्तीराम समस्त जाति अग्रवाल निवासी चम्पानगर, ब्यावर जिला अजमेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

6/6 पुष्पा पत्नि सुनील कुमार अग्रवाल पुत्री बरतीराम निवासी डी–52, ज्योति मार्ग, बापूनगर, जयपुर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2006 उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर राजस्व वाद संख्या 52/85.

उपस्थितः–

1. श्री जी0एस0लखावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री एन.एस.राजावत, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1से 1/7.
3. श्री धमेन्द्रसिंह टॉक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02.
4. श्री राकेश अरोड़ा, हसन खान, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1.
5. रेस्पोडेंट संख्या 3/1 से 3/6, 4, 5/2, 5/3, 6/1 से 6/6 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–05.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 52/85 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2006 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा छावनी चौक ब्यावर में स्थित आराजी हाल खाता संख्या 39 के खसरा नम्बर 208 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 209 रकबा 06 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा संख्या 210 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 211 रकबा 07 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा नम्बर 213 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा जो कि सम्वत 2022 से 2025 की जमाबंदी में साबिक नम्बर 186, 189, 191, 192, 193, 188, 187, 190 के रूप में दर्ज थी एवं उक्त भूमि यूनाईटेड प्रेस बिटेरियन चर्च ऑफ स्काटलेण्ड ने 1860 के बाद से अपने धार्मिक व परोपकारी एवं शैक्षणिक व अस्पताल आदि के उद्देश्य से लोक हितार्थ राजस्थान के कई शहरों एवं कस्बों में खरीद की व सरकार से प्राप्त की उनमें से एक है तथा राजपूताना प्रेस बिटिरीयन मिशन को सन् 1898 इन सम्पतियों का ट्रस्टी नियुक्त कर सुपुर्दी में दी गई तभी से इसके नाम से राजस्व अभिलेख में खातेदार चली आ रही है। दिनांक 16.03.1971 को रजिस्टर्ड ट्रांसफर डीड के जरिये अन्य अचल सम्पतियों के साथ–साथ इन आराजीयात को भी वादी ट्रस्ट को हस्तातंरित कर दी जिसने दाखिला खारिज के आदेश भी दिनांक 25.01.1983 को तहसीलदार, ब्यावर ने वादी के पक्ष में कर दिये तब से वादी इन आराजीयात का खातेदार चला आ रहा है। हाल भू–प्रबन्ध में बिना वादी को सूचित किए एवं सुने इन आराजियात को प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज कर दिया गया जिसका उसे कोई अधिकार नही था। अपीलार्थी के पूर्वज राजपूताना प्रेस बिटिरियन मिशन की ओर से सन् 1945 में ब्यावर चल रही बोयज मिशन नोरमल स्कूल के विद्यार्थियो को कृषि कार्य की ट्रेनिगं देने के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता हरजी को 40/–रूपये सालाना ठेके पर दी गई तब से हरजी एवं उसके बाद उसकी बेवा व पुत्र वादी(अपीलार्थी)एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पूर्व मिशन की स्वीकृति में काश्त करते आ रहे थे लेकिन दिनांक 13.10.1978 को रेस्पोडेन्ट सख्या 01 को बहला फुसला कर प्रतिवादी संख्या 02 से 06 ने अपने नाम रजिस्टर्ड बेचान करवा लिया। जिसका उसे कोई अधिकार नही था। अन्त में वाद स्वीकार करने की प्रार्थना के साथ इन्द्राज दुरूस्ती के अनुतोष के साथ अन्य अनुतोष भी चाहा गया। प्रकरण में तनकियात कायम होने के उपरान्त वाद वादी किसी न किसी प्रकार से स्थगित होता रहा। तत्पश्चात दिनांक 29.09.2000 को वाद निरस्त करने के आदेश दिये गये। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील का निर्णय दिनांक 24.05.2001 को पारित कर दोनो पक्षकारों को साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान कर प्रकरण विधिनुसार गुणावगुण पर पुनः निर्णित करने का आदेश दिया गया। इसकी पालना में प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष नियत किया गया। प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जाने पर पक्षकारान की उपस्थिति के पश्चात् तारीख पेशी दिनांक 23.07.2001 प्रदान की गई उक्त पेशी को वादी का गवाह उपस्थित था परन्तु तारीख पेशी तब्दील की गई। इसके पश्चात दिनांक 13.08.2001 को वादी का गवाह उपस्थित था। तत्पश्चात दिनांक 12.09.2001 को प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसके पश्चात प्रकरण किसी न किसी प्रकार से स्थगित होता रहा। वादी की साक्ष्य बराबर उपसिथत रही परन्तु बयान नहीं हो सके। दिनांक 18.02.2003 को वादी के गवाह के बयान आरम्भ होने पर प्रतिवादी द्वारा एतराज किये जाने के कारण प्रकरण आगे नहीं बढ़ पाया। इसके पश्चात दोनो पक्षों की दस्तावेजी साक्ष्य को अभिलेख पर लिये जाने या नहीं लिये जानेके क्रम में प्रकरण लंबित रहा। तत्पश्चात लगातार जब भी वादी का गवाह उपस्थित होता था तो किसी प्रार्थना पत्र के जवाब में या प्रार्थना पत्रों की बहस हेतु या पीठासीन अधिकारी अन्यत्र व्यस्त होने के आधार पर तारीख पेशी तब्दील होती रही । इस प्रकार दिनांक 18.09.2006 को विचारण न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र दिनांक 17.04.2006 तथा दिनांक 26.07.2006 को आदेश 01 नियम 10 जा.दी. के प्रस्तुत किये गये थे उन पर बहस सुनी गई तथा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण उक्त दिवस को किया जाना था परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 01 नियम 10 जा.दी. के प्रार्थना पत्रों को तो विधिपूर्ण तरिके से विवेचन कर निरस्त कर दिया गया जो पूर्णतया उचित है, परन्तु स्थापित विधि के विपरीत बिना किसी आधार के उससे भी आगे जाकर अपीलार्थी का वाद भी निरस्त कर दिया। इस कारण अपीलार्थी का वाद निरस्त किये जाने से असंतुष्ट एवं व्यथित होकर अपीलार्थी न्यायालय हाजा के समक्ष निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 18.09.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर अपील पर अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/7, 2, 5/1 को सुना गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 से 3/6, 4, 5/2, 5/3, 6/1 से 6/6 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलार्थी/वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा छावनी चौक ब्यावर में स्थित आराजी हाल खाता संख्या 39 के खसरा नम्बर 208 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 209 रकबा 06 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा संख्या 210 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 211 रकबा 07 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा नम्बर 213 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा जो कि सम्वत 2022 से 2025 की जमाबंदी में साबिक नम्बर 186, 189, 191, 192, 193, 188, 187, 190 के रूप में दर्ज थी एवं उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

भूमि यूनाईटेड प्रेस बिटेरियन चर्च ऑफ स्काटलेण्डने 1860 के बाद से अपने धार्मिक व परोपकारी एवं शैक्षणिक व अस्पताल आदि के उद्देश्य से लोक हितार्थ राजस्थान के कई शहरों एवं कस्बों में खरीद की व सरकार से प्राप्त की उनमें से एक है तथा राजपूताना प्रेस बिटिरीयन मिशन को सन् 1898 इन सम्पतियों का ट्रस्टी नियुक्त कर सुपुर्दी में दी गई तभी से इसके नाम से राजस्व अभिलेख में खातेदार चली आ रही है। दिनांक 16.03.1971 को रजिस्टर्ड ट्रांसफर डीड के जरिये अन्य अचल सम्पतियों के साथ–साथ इन आराजीयात को भी वादी ट्रस्ट को हस्तातंरित कर दी जिसने दाखिला खारिज के आदेश भी दिनांक 25.01.1983 को तहसीलदार, ब्यावर ने वादी के पक्ष में कर दिये तब से वादी इन आराजीयात का खातेदार चला आ रहा है। हाल भू–प्रबन्ध में बिना वादी को सूचित किए एवं सुने इन आराजियात को प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज कर दिया गया जिसका उसे कोई अधिकार नही था। अपीलार्थी के पूर्वज राजपूताना प्रेस बिटिरियन मिशन की ओर से सन् 1945 में ब्यावर चल रही बोयज मिशन नोरमल स्कूल के विद्यार्थियो को कृषि कार्य की ट्रेनिगं देने के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता हरजी को 40/–रूपये सालाना ठेके पर दी गई तब से हरजी एवं उसके बाद उसकी बेवा व पत्रु वादी(अपीलार्थी)एवं पूर्व मिशन की स्वीकृति में काश्त करते आ रहे थे लेकिन दिनांक 13.10.1978 को रेस्पोडेन्ट सख्या 01 को बहला फुसला कर प्रतिवादी संख्या 02 से 06 ने अपने नाम रजिस्टर्ड बेचान करवा लिया। जिसका उसे कोई अधिकार नही था। अन्त में वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की गई। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि प्रकरण में तनकयात कायम होने के उपरान्त वाद वादी किसी न किसी प्रकार से स्थगित होता रहा। तत्पश्चात दिनांक 29.09.2000 को वाद निरस्त करने के आदेश दिये गये। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील का निर्णय दिनांक 24.05.2001 को पारित कर दोनो पक्षकारों को साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान कर प्रकरण विधिनुसार गुणावगुण पर पुनः निर्णित करने का आदेश दिया गया। इसकी पालना में प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष नियत किया गया। प्रकरण सुनवाई हेतु नियत किये जाने पर पक्षकारान की उपस्थिति के पश्चात् तारीख पेशी दिनांक 23.07.2001 प्रदान की गई उक्त पेशी को वादी का गवाह उपस्थित था परन्तु तारीख पेशी तब्दील की गई। इसके पश्चात दिनांक 13.08.2001 को वादी का गवाह उपस्थित था। तत्पश्चात दिनांक 12.09.2001 को प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसके पश्चात प्रकरण किसी न किसी प्रकार से स्थगित होता रहा। वादी की साक्ष्य बराबर उपस्थित रही परन्तु बयान नहीं हो सके। दिनांक 18.02.2003 को वादी के गवाह के बयान आरम्भ होने पर प्रतिवादी द्वारा एतराज किये जाने के कारण प्रकरण आगे नहीं बढ़ पाया। इसके पश्चात दोनो पक्षों की दस्तावेजी साक्ष्य को अभिलेख पर लिये जाने या नहीं लिये जाने के क्रम में प्रकरण लंबित रहा। तत्पश्चात लगातार जब भी वादी का गवाह उपस्थित होता था तो किसी प्रार्थना पत्र के जवाब में या प्रार्थना पत्रों की बहस हेतु या पीठासीन अधिकारी अन्यत्र व्यस्त होने के आधार पर तारीख पेशी तब्दील होती रही। इस प्रकार दिनांक 18.09.2006 को विचारण न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र दिनांक 17.04.2006 तथा दिनांक 26.07.2006 को आदेश 01 नियम 10 जा.दी. के प्रस्तुत किये गये थे उन पर बहस सुनी गई तथा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण उक्त दिवस को किया जाना था परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 01 नियम 10 जा.दी. के प्रार्थना पत्रों को तो विधिपूर्ण तरिके से विवेचन कर निरस्त कर दिया गया जो पूर्णतया

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उचित है। परन्तु स्थापित विधि के विपरीत बिना किसी आधार के उससे भी आगे जाकर अपीलार्थी का वाद भी निरस्त कर दिया गया लेकिन विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित कर वाद निरस्त कर दिया कि वादी ने वाद को अकारण लंबित रखा है इस कारण वाद खारिज किया जाता है यह विवेचन विधिपूर्ण नहीं है क्योंकि विचारण न्यायालय ने प्रकरण के लंबित रहते विचारण न्यायालय ने जब भी वादी का गवाह उपस्थित रहा उक्त दिवस को पीठासीन अधिकारी के नहीं होने या अन्यत्र व्यस्त होने या किसी प्रार्थना–पत्र पर प्रकरण नियत रहने से गवाहों के बयान नहीं कराये जा सकें जिसके लिए वादी को दोष नहीं दिया जा सकता अपितु परिस्थितियॉ ही इसके लिए दोषी हो सकती है, इन परिस्थितियों के लिए वादी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है इस कारण उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2006 विधि विपरीत होने से अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय से वाद इस कारण भी निरस्त किया कि वादी ने 35 वर्ष वाद क्यों प्रस्तुत किया जबकि विधायिका में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जो प्रावधान अंकित किये है उसके अनुसार तृतीय अनुसूची के प्रथम भाग के क्रम संख्या 5 पर घोषणात्मक वाद हेतु समयावधि की कोई बाधा अंकित नहीं की है इस प्रकार विधायिका ने ही घोषणात्मक वाद हेतु कोई मयाद का प्रावधान नहीं किया तथा जब वादी के अधिकारों को चुनौति दी जाने लगी तब ही वाद कारण उत्पन्न हुआ, तत्पश्चात वादी ने वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 18.09.2006 पारित करते हुए इस बिन्दू को नजरअंदाज किया कि प्रकरण मे जब वादी साक्ष्य उपस्थित हुआ उस दिवस को किसी न किसी कारण से तारीख पेशी तब्दील होती रही, जो कारण वादी के पक्ष में नहीं थे, वादी के गवाह के बयान जब भी आरम्भ हुए स्वयं विचारण न्यायालय ने वादी के साक्ष्य को पूर्ण नहीं किया, प्रतिवादी के आक्षेप को वरीयता देकर साक्ष्य उसी स्तर पर रोक दी गई, इन परिप्रेक्ष्य में स्वयं विचारण न्यायालय की त्रुटि के कारण वाद को दण्डित नहीं किया जा सकता है तथा न्याय हित में दोनो पक्षो को साक्ष्य लेने के पश्चात ही प्रकरण का निर्णय पारित करना था परन्तु ऐसा नहीं कर विचारण न्यायालय ने भारी त्रुटि कारित की है जो अपील के माध्यम से दुरूस्त किये जाने योग्य है।

5. अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.08.2006 को आदेश 01 नियम 10 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी, तत्पश्चात उसी दिवस को यू.सी.एन.आई.टी.ए. को दस्तोवज तलब करने हेतु तहरीर जारी की, आगामी पेशी दिनांक 31.08.2006 की दी गई एवं दिनांक 31.08.2006 को तारीख पेशी बदले के उपरानत आगामी पेशी दिनांक 11.09.2006 की दी गई, दिनांक 11.09.2006 को यू.सी.एन.आई.टी.ए. को जारी पत्र की पालना में दस्तावेज प्रापत होना अंकित किया तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई तथा लगातार आगामी तीन तारीख पेशी तक दिनांक 14.09.2006, दिनांक 15.09.2006 व दिनांक 16.09.2006 को प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने से तारीख पेशी तब्दील की गई तथा दिनांक 18.09.2006 को आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी के आवेदन का निर्णय करने के साथ ही वाद को भी खारिज कर दिया जबकि उक्त दिवस को वाद अंतिम सुनवाई हेतु नियत ही नहीं था तथा निर्णय दिनांक 18.09.2006 से यह स्पष्ट नहीं होता है कि न्यायालय में विधि द्वारा प्रदत्त किन शक्तियों का प्रयोग कर आदेश पारित किया, ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा निर्णय दिनांक 18.09.2006 निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2006 को न्यायालय को प्रथम निर्णय आदेश 01 नियम 10 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर

करना था परन्तु उनके द्वारा उक्त दिवस को उक्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करते हुए वाद को ही अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया, जो आदेश 17 के प्रावधानो के अनुसार ही नही है क्योंकि यदि न्यायालय आदेश 17 नियम 3 के प्रावधानों के तहत् वाद का निर्णय करने हेतु अग्रसर हो रहा था तो सर्वे प्रथम इस बाबत् अभिभाषकगण की बहस का अंकन होता परन्तु आदेश दिनांक 18.09.2006 के अभिभाषकगण की बहस का कोई विवरण अंकित नहीं है इससे स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी विधि विधान के प्रतिकूल प्रकरण को खारिज करने की ओर से अग्रसर थे उनके द्वारा बहस सुनने की विधिक प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं की गई थी ऐसी स्थिति में उनके द्वारा पारित निर्णय अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर गुणावगुण पर बहस सुने बिना ही प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित कर दिया तथा यदि प्रकरण को गुणावगुण पर भी निर्णित करना था तो दोनो पक्षों के अभिवचनों के आधार पर वाद बिन्दू कायम किए हुए थे दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर उपलबध थी तथा न्यायालय को इसी अनुसरण में प्रकरण का निस्तारण करना था परन्तु ऐसा नहीं कर अत्यन्त ही अवैधानिक विवेचन कर वाद को खारिज कर जो निर्णय पारित किया है वह अपील के माध्यम से निरस्त किऐ जाने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील स्वीकार करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2006 को निरस्त किया जाकर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर गुणावगुण पर निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर को निर्देश प्रदान करावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/7 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में शहादत के लिए उभयपक्षकारान को दो-दो अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर पुनः न्याय निर्णय पारित के लिए निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था, जो कन्डीशनल आदेश था इस प्रकार के आदेश प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः दर्ज करने के बाद उसी दिन से शुरू हो जाते है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/वादी को शहादत हेतु कई अवसर दिये थे किन्तु मान्नीय न्यायालय के आदेश की पालना नहीं गई। आदेश 17 नियम 3 में यह अंकित है कि न्यायालय मेरिट पर मामले का निस्तारण करने हेतु बाध्य नही है यह न्यायालय का विवेक है कि वह चाहे तो वाद खारिज करे या कार्यवाही को स्थगित करें। विवेकाधिकार के आधार पर खारिज किये गये मामलों में पुनरीक्षण याचिका में यह प्रश्न अन्तनिर्हित होगा कि क्या न्यायालय मेटिर पर निस्तारण करने में समक्ष था या नहीं। अपितु प्रश्न यह नहीं होगा कि दिया गया निर्णय उचित है या नहीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत आदेश 17 नियम 3 के तहत् विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/7 द्वारा अपनी बहस में न्यायालय हाजा के समक्ष निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत् रेस्पोडेन्टस को विधि अनुसार खातेदार अधिकार प्रोदभूत हो चुके थे तथा रेस्पोडेन्टस को प्राप्त खातेदारी काश्तकारी अधिकारों को विधि अनुसार तीन साल की मियाद के भीतर चुनौती प्रदान की जाने थी जो अपीलांट द्वारा किसी भी समक्ष न्यायालय में चाराजोही इत्यादि नहीं की गई एवं राजस्थान स्टाम्प एक्ट एवं केन्द्रीय स्टाम्प एक्ट के अनुसार 100/- रूपये के मूल्य से कम के विक्रय पत्र को जो कि अनरजिस्टर्ड हो पंजीयन आवश्यक नही है तथा स्टाम्प 100/-रूपये से अधिक विक्रय पत्र होने पर उसका विधिनुसार पंजीयक शुल्क जमा करवा कर सम्बन्धित उप-पंजियक के समक्ष पंजीयन करवाना आवश्यक है। इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

प्रकार से उक्त अपील अपीलांट विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य होने से उक्त अपील खारिज की जावे।

7. विद्वान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं 5/1 ने दौराने जवाब/बहस अपील में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत् पूर्व में अपीलांट द्वारा मान्नीय न्यायालय के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की थी जिसे न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 24.05.2001 को उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजीयात शहादत के लिए दो-दो अवसर प्रदान कर उक्त प्रकरण का निर्णय प्रदान किये जाने के पुनः प्रेतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान किया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पालना में प्रकरण पुनःदर्ज कर अपीलांट को अनेक बार शहादत हेतु अवसर दिये गये थे। रेस्पोडेन्टस अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में न्यायालय हाजा के समक्ष निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत् 1358 सन् फसली (1947 ई.)में हरजी/गिरधारी बहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में अंकित है तथा इसी प्रकार से 1359 -1360, 1361, फसली में हरजी/गिरधारी खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज चले आ रहे है तथा हरजी के निधन के पश्चात ईश्वर लाल के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.10.1978 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 06 के पक्ष में निष्पादित किया गया। इस प्रकार से किसी भी पक्षकार द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.10.1978 को सक्षम न्यायालय चुनौती प्रदान कर निरस्त नहीं करवाया गया है। इस प्रकार से उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विधि अनुसार मान्य है तथा वादी/अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.03.1985 को लगभग 38 वर्ष बाद उक्त राजस्व वाद पेश किया गया तथा अपीलांट/वादी द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष और ना ही मान्नीय न्यायालय के समक्ष आदेश 41 नियम 27 जा. दी. के प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया हो जिससे यह साबित होता हो कि ट्रस्ट को उक्त सम्पतिया हस्तातंरित की गई हो इसी प्रकार से रेस्पोडेन्टस के द्वारा अपनी बहस को न्यायालय हाजा के समक्ष निरन्तर करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के ईश्वर लाल के पिता हरजी लाल को किसी ट्रस्ट द्वारा दिनांक 16.03.1971 को 40/-रूपये में किराये पर दिया जाना बताया जबकि वादग्रस्त आराजीयात बाबत् पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात सन्फसली 1358-1359-1360 इत्यादि में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ईश्वर लाल के पिता हरजी लाल/गिरधारी के नाम दर्ज है इस प्रकार से उक्त दस्तोवज आपस में विरोधाभाषी है। इस प्रकार से वादी/अपीलांट को वादग्रस्त आराजीयात बाबत् किसी प्रकार से हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होते है तथा वादी के द्वारा प्रस्तुत पूर्व के दावें में वादी को 29 बार साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किये गये थे तथा मान्नीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण दिनांक 24.05.2001 को पुनः शहादत हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया था जिसकी पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को पुनः दर्ज किया इसके बावजूद भी वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुए जबकि अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की अनुपालना में मियाद का बिन्दु पुनः दर्ज करने के बाद ही शुरू हो जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शहादत हेतु वादी को कई बार अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश दिनांक 18.09.2006 पारित किया गया है जो विधिनुसार सही है तथा रेस्पोडेन्टस अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत् निष्पादित विक्रय सम्बन्धित अपंजिकृत दरतावेज एवं अनस्टाम्प दस्तोवज है जो कि

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

साक्ष्य में किसी प्रकार सें ग्राहय नहीं है तथा ऐसा दस्तावेज भारतीय साक्ष्य
अधिनियम की धारा 65 के अनुसार द्वितीय साक्ष्य की परिभाषा मे भीं नही
आते है तथा रेस्पोडेन्टस अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में आगे कथन
किया कि रजिस्टर्ड दस्तावेजो को सक्षम न्यायालय में चुनौती प्रदान कर
उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेजो को निरस्त करवाये बिना राजस्व न्यायालय में
उद्घोषणा हेतु राजस्व वाद चलने योग्य नहीं है तथा अपीलांट द्वारा
वादग्रस्त आराजीयात बाबत् पूर्व में 1988 में भी एक राजस्व वाद प्रस्तुत
किया जिसमें भी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत् रेस्पोडेन्टस
का ही कब्जा माना है इस प्रकार से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में किसी
प्रकार का विधि बल नहीं होने के कारण उक्त अपील अपीलांट इसी स्तर
निरस्त की जाने के आदेश प्रदान करावे।

8. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा गई बहस पर मनन किया गया एवं
पत्रावलियॉ एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद
अवलोकन अभिभाषक अपीलांट का यह तर्क है कि विचारण न्यायालय ने
अपने निर्णय से वाद इस कारण निरस्त किया कि वादी ने 35 वर्ष वाद
क्यों प्रस्तुत किया जबकि विधायिका में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 में जो प्रावधान अंकित किये है उसके अनुसार तृतीय अनुसूची के
प्रथम भाग के क्रम संख्या 5 पर घोषणात्मक वाद हेतु समयावधि की कोई
बाधा अंकित नहीं की है इस प्रकार विधायिका ने ही घोषणात्मक वाद हेतु
कोई मयाद का प्रावधान नहीं किया तथा जब वादी के अधिकारों को
चुनौती दी जाने लगी तब ही वाद कारण उत्पन्न हुआ, तत्पश्चात वादी ने
वाद प्रस्तुत किया। किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि
वादी/अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के
समक्ष दिनांक 26.03.1985 को लगभग 38 वर्ष बाद उक्त राजस्व वाद
पेश किया गया तथा अपीलांट/वादी द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय के
समक्ष और ना ही मान्नीय न्यायालय के समक्ष आदेश 41 नियम 27 जा.
दी. के प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया हो जिससे यह
साबित होता हो कि ट्रस्ट को उक्त सम्पतिया हस्तातंरित की गई है।
अभिभाषक अपीलांट का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के पूर्वज राजपूताना
प्रेस बिटिरियन मिशन की ओर से सन् 1945 में ब्यावर चल रही बोयज
मिशन नोरमल स्कूल के विद्यार्थियो को कृषि कार्य की ट्रेनिगं देने के लिए
रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता हरजी को 40/–रूपये सालाना ठेके पर दी
गई तब से हरजी एवं उसके बाद उसकी बेवा व पुत्र वादी(अपीलार्थी)एवं
पूर्व मिशन की स्वीकृति में काश्त करते आ रहे थे लेकिन दिनांक 13.10.
1978 को रेस्पोडेन्ट सख्या 01 को बहला फुसला कर प्रतिवादी संख्या 02
से 06 ने अपने नाम रजिस्टर्ड बेचान करवा लिया। जिसका उसे कोई
अधिकार नही था। किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि
वादग्रस्त आराजीयात किस प्रकार से ट्रस्ट के नाम हस्तांतरित की गई है
ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय
के निर्णय दिनांक 18.09.2006 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि
वादी/अपीलांट का वादग्रस्त आराजीयात पर किसी प्रकार से कब्जा
काश्त सन् 1945 से नहीं है तथा जमाबंदी सम्वत 2014 से 2017 में
स्वर्गीय हरजी इन आराजीयात में तन्हा खातेदार काश्तकार दर्ज हैं एवं
इससे पूर्व की गिरदावरियॉ सन् फसली 1358 अर्थात सन्1950 एवं सम्वत
2007 से इन भूमियों पर काबिज काश्त चला आ रहा है ऐसी स्थिति में
वाद कथन प्रथम दृष्टया कपोलकल्पित प्रतीत होते है, जो कि पूर्णतया
सही हैं। अभिभाषक अपीलांट का यह भी तर्क है कि विचारण न्यायालय ने
प्रकरण के लंबित रहते विचारण न्यायालय ने जब भी वादी का गवाह
उपस्थित रहा उक्त दिवस को पीठासीन अधिकारी के नहीं होने या अन्यत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

व्यस्त होने या किसी प्रार्थना–पत्र पर प्रकरण नियत रहने से गवाहों के बयान नहीं कराये जा सकें जिसके लिए वादी को दोष नहीं दिया जा सकता अपितु परिस्थितियाँ ही इसके लिए दोषी हो सकती है, इन परिस्थितियों के लिए वादी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है इस कारण उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2006 विधि विपरीत होने से अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में शहादत के लिए उभयपक्षकारान को दो–दो अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर पुनः न्याय निर्णय पारित के लिए निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था, जो कन्डीशनल आदेश था इस प्रकार के आदेश प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः दर्ज करने के बाद उसी दिन से शुरू हो जाते है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा के उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में उक्त पत्रावली 20.06.2001 को उक्त पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की गई तथा उक्त दिनांक को वादी की ओर से उनके अभिभाषक श्रीभगवान दास झालान द्वारा वकालतनामा पेश कर उक्त पत्रावली में आगामी पेशी वास्ते वादी शहादत हेतु दिनांक 23.07.2001 नियत की गई। उसके पश्चात उक्त पत्रावली में वादी शहादत हेतु दिनांक 13.08.2001 की तारीख पेशी नियत की गई,उसके पश्चात दिनांक 12.09. 2001 को प्रतिवादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचित किया कि हाजा न्यायालय के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत कर दी है अतः एक माह का समय दिया जावे तत्पश्चात उक्त पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 13.09.2001 नियत की गई। उसके पश्चात उक्त पेशी दिनांक 13.09.2001 को उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। रिवीजन पीटीशन/अपील बाबत् कोई मांग पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं होने और ना ही प्रतिवादी वकील द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का निरस्त किया जाकर पत्रावली को आगामी पेशी दिनांक 01.10.2001 को शहादत वादी हेतु नियत कर दी तथा उसके पश्चात उक्त पत्रावली बाबत् अनेको बार वादी शहादत हेतु नियत की गई परन्तु वादी अभिभाषक न्यायालय हाजा के द्वारा दिये गये आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी को शहादत हेतु कई अवसर लगभग 05 वर्ष तक न्यायहित में दिये गये थे किन्तु इतनी लम्बी अवधि के बाद भी वादी अपनी शहादत कराने में असमर्थ रहा है, जबकी न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांट ने ही अपील प्रस्तुत की थी तथा प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने के उपरांत भी वादी द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की पालना नहीं गई इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि वादी अपने कर्तव्यों तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अपने हक व अधिकारों के प्रति पूर्णतया उदासीन रहे। इस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 3 में यह अंकित है कि न्यायालय मेरिट पर मामले का निस्तारण करने हेतु बाध्य नही है तथा विधिनुसार वाद पत्र बाबत् जवाब दावा प्रस्तुत होने के उपरान्त न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर उक्त तनकीयात बाबत् वादी साक्ष्य ग्राहय कर स्वतंत्र गवाहों के बयान ग्रहण कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित करने के उपरान्त प्रतिवादी एवं गवाहों के बयान लेने के उपरान्त दोनो पक्षों की बहस सुनकर निर्णय पारित करना होता है परन्तु उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को शहादत हेतु अनेक अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त वादी स्वयं ही वादी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुए इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय वादी साक्ष्य हेतु वादी के अनुपस्थित होने पर उक्त राजस्व वाद के साथ सलंग्न दस्तावेजो बाबत् किस प्रकार से

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रदर्श अंकित करते तथा विधितः वादी साक्ष्य के उपरान्त उक्त पत्रावली स्वतंत्र गवाहों के बयान के पश्चात उक्त बयानों के बाद प्रतिवादी के बयानों हेतु नियत होकर उक्त पत्रावली में निर्णय किया जाता है परन्तु उक्त पत्रावली में वादी शहादत के अभाव में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं हुयी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी शहादत के समय उक्त पत्रावली बाबत् दस्तावेजो के प्रदर्श पूर्णतया अभाव रहा है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि वादी वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अपने हक व अधिकारों की प्राप्ति हेतु तथा कर्तव्यों के निर्वहन हेतु पूर्णतया उदासीन रहे ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट को वादग्रस्त आराजीयात बाबत् किस प्रकार से न्याय प्रदान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष वादी/अपीलांट के उक्त राजस्व वाद को विधिनुसार आदेश 17 नियम 3 में निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया है जो विधिसम्मत है। इसके अतिरिक्त पत्रावली को गुणावगुण पर अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा जो वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया उसमें वादी ने यह अंकित ही नहीं किया है कि भूमि विवादग्रस्त उसकी खातेदारी में किसी प्रकार आई और भूमि विवादग्रस्त का लगान उससे कभी देय रहा हो। वादी के लिये यह साबित करना आवश्यक था कि वह इस आशय की साक्ष्य प्रस्तुत करे कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के अन्तर्गत या विधि के अन्य किसी प्रावधान के अन्तर्गत उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हों। वादी स्वयं यह कह कर आया है कि वर्ष 1945 से भूमि विवादग्रस्त पर प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरजी काश्त करता चला आ रहा है जिससे भी यह साबित होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय हरजी माली ही कृषक के रूप में भूमि विवादग्रस्त पर काबिज था। वादी के कथनानुसार ही उसके द्वारा हरजी माली के वर्ष 1945 से चल रहे कब्जे को वादी द्वारा ठेके पर दिये जाने के आधार पर माना है परन्तु ठेके पर उक्त भूमि को हरजी माली को दिये जाने के संबंध में किसी प्रकार की साक्ष्य वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अथवा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है जिससे भी यह स्पष्ट है कि वह अपने द्वारा किये गये कथन को साबित करने में असफल रहा है एवं ऐसी अवस्था में वादी उसके द्वारा चाहे गये कि अनुतोष को प्राप्त करने का वह कतई अधिकारी नहीं रहता है। हरजी के फोत हो जाने पर उसका पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे रहे हैं इस प्रकार वादी संस्था का इस भूमि पर किसी प्रकार से कब्जा काश्त सन् 1945 से ही नहीं रहा है, जमाबंदी संवत् 2014 से 17 में हरजी का नाम खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी में इन भूमियों पर हरजी द्वारा काश्त किया जाना अंकित है। हरजी का देहान्त हो जाने पर उसके पुत्र ईश्वरलाल प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व भू-अभिलेखों में दर्ज हुआ जिसने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा उक्त भूमि दिनांक 25-4-1978 को राजेन्द्र प्रसाद मंगल, श्रीराम, बस्तीराम, मोहनलाल, सोहनलाल पुत्रान रामगोपाल अग्रवाल को विक्रय की, जिनके पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 6 दिनांक 10-12-1978 को भर कर प्रस्तुत किया गया परन्तु उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया और दिनांक 18-1-1983 को नामांतरकरण संख्या 7 भरकर प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार ने दिनांक 25-1-1983 के निर्णय द्वारा उक्त नामांतरकरण संख्या 7 को तस्दीक कर दिया और दिनांक 28-2-1983 को नामांतरकरण संख्या 6 निरस्त किया। उपखण्ड अधिकारी ब्यावर ने दिनांक 21-12-1993 के निर्णय द्वारा उक्त अपीलें स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार ब्यावर को प्रतिप्रेषित किये जिसके पश्चात् तहसीलदार ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

दिनांक 17–2–1994 को नामांतरकरण संख्या 6 स्वीकृत किया और नामांतरकरण संख्या 7 को निरस्त कर दिया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा दिनांक 20–9–1996 के निर्णय द्वारा क्षेत्राधिकार के आधार पर पारित किये गये निर्णय की वजह से प्रकरण प्रतिप्रेषित किया, जिसके पश्चात् उपखण्ड अधिकारी ब्यावर ने दिनांक 19–12–1996 को आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध अपीलें अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर ने दिनांक 27–8–1997 को जो निर्णय पारित किये उनके विरूद्ध राजेन्द्र प्रसाद व अन्य द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष अपील संख्या 128/1997 व 129/1997 उनवानी राजेन्द्र प्रसाद व अन्य बनाम दी यूनाईटेड चर्च प्रस्तुत की गई जिन्हें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान ने दिनांक 31–5–1999 के निर्णय द्वारा स्वीकार करते हुये केस अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर को प्रतिप्रेषित किया। वादी यूनाईटेड चर्च ऑफ नार्दन इण्डिया उक्त निर्णय के विरूद्ध नजरसानी याचिका संख्या 3115/99 एवं 3116/99 प्रस्तुत की गई जिन्हें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने दिनांक 4 मार्च, 2010 के निर्णय द्वारा निरस्त कर दिया। विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप नामांतरकरण की प्रक्रिया केवल फिस्कल प्रोसिडिंग है। नियमित वाद विचाराधीन होने की स्थिति में भूमि विवादग्रस्त पर खातेदारी अधिकारों को निर्धारित करने के संबंध में नामांतरकरण जैसी समरी कार्यवाही में कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। भूमि विवादग्रस्त पर रेस्पोंडेंट पक्ष वास्तविक तथा स्वीकृत रूप से काबिज है और उन्हें भूमि विवादग्रस्त से बेदखल करने हेतु कोई दावा वादी द्वारा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। वास्तविक कब्जे के अभाव में वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा तथा इन्द्राज दुरूस्ती का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी बिन्दुओं पर विचार करते हुये जो अपीलाधीन निर्णय 18–9–2006 को पारित किया है, जो विधिनुसार न्यायोचित प्रतीत होने से उक्त अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के द्वारा वाद संख्या 52/1985 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.09.2006 यथावत् रखा जाने योग्य हैं ।

9. अतःअपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के द्वारा वाद संख्या 52/1985 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2006 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 05.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

CamScanner